कार्यालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

संजीव कुमार गुप्ता वगैरह बनाम् सुनील कुमार गुप्ता वगैरह

अपील वाद संख्या 02 /2021-22

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक संजीव कुमार गुप्ता एवं जय प्रकाश गुप्ता पिता स्व0 लोकनाथ साव, साकिन- जरमुने, थाना- बगोदर, जिला- गिरिडीह द्वारा आवेदन अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा निर्गत L.P.C पत्रांक 22 दिनांक 02.02.2022 को रद्द करने हेतु अपील वाद प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
जरमुने	54	2205, 2206, 2207, 2209	4 एकड 98 डी0

अतः उभय पक्षों को नोटिस नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 9/2/22 को रखें।

3/2/22

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बगोदर-सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
9.2.22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप० TO 2/3/22 [signature] 9/2	
2.3.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप० नोटिस का तामिला प्राप्त है। द्वितीय पक्ष नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी उपस्थित नहीं है। अंचल अधिकारी को प्रतिवेदन हेतु स्मारित करें। TO 16/03/22 [signature] 2/3	24 2.3.22
16.3.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप०। अभिलेख दिनांक 30.3.2022 को रखें।	
30.3.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुप० अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। स्मार भी दिया गया है। अंचल अधिकारी से कारण पृच्छा करें कि प्रतिवेदन क्यों नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा कर न्यायालय	

(3)

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	की कार्यवाई को बाधित किया जा रहा है। TO 13/04/22 अ/ब	42 / 30.3.22
13.4.22	प्रथम पक्ष वकालतनामा हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन प्राप्त। द्वितीय पक्ष लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। नोटिस का तामिला प्राप्त है। अंचल अधिकारी द्वारा LPC निर्गत करने का निम्न आधार बताया गया — 1. सर्वे खतियान के अनुसार खतियानी रैयत गंगा प्रसाद वल्द राम रतन भगत हैं। 2. द्वितीय पक्ष की माँ सुमित्रा देवी पति स्व० लोकनाथ साव को बजरिये केवाला सं०-6063 दिनांक-14.09.1957 से खरीदगी हासिल है। 3. द्वितीय पक्ष के द्वारा अनिबंधित बँटवारानामा दाखिल किया गया जिसमें उसका 1.68 एकड़ भूमि होता है। 4. द्वितीय पक्ष के चचेरे भतीजे ने उक्त बंटवारा	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर (५)	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	को सही बताया गया। अतः विरोध पक्ष को LPC निर्गत किया गया। अपीलकर्ता भोगधारी के पुत्र जय प्रकाश गुप्ता है। अपीलकर्ता के अनुसार प्रश्नगत भूमि सुमित्रा देवी को बजरिये केवाला के माध्यम से खरीदगी है तथा अंचल कार्यालय में भोग पंजी में उनका नाम दर्ज है। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके तीन पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता, जय प्रकाश गुप्ता एवं सुनील कुमार गुप्ता संयुक्त रूप से दखलकार हुये। उक्त जमीन का तीनो भाईयों के बीच आज तक बँटवारा नहीं हुआ है। ओम प्रकाश गुप्ता की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र राजीव कुमार गुप्ता एवं संजीव कुमार गुप्ता भी दखलकार हुये। विपक्षी के द्वारा सभी हिस्सेदारों का फर्जी हस्ताक्षर से बँटवारानामा तैयार कर अपने पक्ष में LPC प्राप्त किया गया है जो रद्द करने योग्य है।	

(5)

...क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपीलकर्ता के द्वारा दाखिल अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।. प्रश्नगत भूमि सुमित्रा देवी एवं उनके वंशजों की संयुक्त सम्पत्ति है तथा उनके नाम से अद्यतन लगान रसीद निर्गत है। चूँकि यह वाद सुमित्रा देवी के पुत्र के द्वारा लाया गया है, इससे स्पष्ट है कि सभी हिस्सेदार गैरनिबंधित बँटवारानामा से सहमत नहीं हैं। अतः एक पुत्र के नाम से जमीन विशेष LPC निर्गत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।. अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत LPC को उक्त विवेचन के आलोक में रद्द किया जाता है। उभय पक्ष को इस आदेश से अवगत करावे। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) अपर...	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.04.22 14:25:57 +05:30
Location: 192.168.1.5